हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम आयुक्त फरीदाबाद से मांगी सूचना

चंडीगढ़ | हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की संख्या की जानकारी न होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए उसे सभी अधिसूचित सेवाओं का डाटा जुटाने और 16 सितंबर तक सूचना भिजवाने के निर्देश दिए हैं, चाहे वे अंत्योदय सरल पोर्टल, किसी ऑनलाइन तरीके से या किसी एप के माध्यम से या फिर किसी ऑफलाइन तरीके से क्यों न मुहैया करवाई जा रही हों। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि 9 अगस्त को जारी पत्र के तहत स्वतः संज्ञान नोटिस की प्रतिक्रिया में ई-मेल के माध्यम से तीन सितंबर को जवाब मिला और नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 126 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि अधिनियम के तहत कितनी सेवाएं अधिसूचित हैं तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी सुनवाई में अधिकारी को अधिसूचित सेवाओं की संख्या तक का पता नहीं था।